2

6-9-16 पत्रावली प्रेषित हुई। वादी को उपस्थित पाया गया। वादिनी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना की गई कि प्रतिवादी को मुकदमा नहीं है। इसलिए वह चाहते हैं कि यथास्थिति बनाये रखी जाये। अतः सुनवाई स्थगित करते हुए पत्रावली में इसलिए यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली को माह में प्रथम सोमवार को पेश हो।

SDO

Scanned by CamScanner